

फर्द अहकाम (नियम 26)  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सैजानाह  
 पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.  
 मु.नं. 49/नं 2019 वाद पत्र- अन्तर्गत धारा 88 आर्टीए व 136 एलआर एक्ट

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए

हुकम की कार्यवाही मय इनिशियलस जल

तारीख हुकम

30.07.2019

यह वाद पत्र राजस्थान कारागारों अधिनियम की धारा 88 व में राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी बनवासी लाल पुत्र बनवासी लाल जाट निवासी खारिया छोटा ने वाद पत्र केम कोर्ट सालासर में प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाते। प्रकरण में स्पष्टित तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम नौरासर की जमाबन्दी संवत् 2073-76 नया खाला खंख्या 110 में प्राणी का नाम राजस्व रिकार्ड में बनवासी पुत्र बनवासी लाल जाट निवासी खारिया छोटा दर्ज है। जो गलत है। प्राणी का नाम आहार कोई परिवय पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार प्राणी का नाम बनवासी लाल पुत्र बनवासी लाल जाट निवासी खारिया छोटा है। प्राणी का नाम बनवासी लाल पुत्र बनवासी लाल जाट निवासी खारिया छोटा है। जो गलत है। संनन दस्तावेज आहार कोई निवेदन किया है कि जमाबन्दी संवत् 2073-76 में प्राणी का नाम बनवासी पुत्र बनवासी लाल जाट निवासी खारिया छोटा दर्ज है। जो गलत है। संनन दस्तावेज आहार कोई परिवय पत्र व पत्रवासी रिपोर्ट के अनुसार प्राणी का सही नाम बनवासी लाल पुत्र बनवासी लाल जाट निवासी खारिया छोटा है। जो शुद्ध किया जाना उचित है।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई पत्रवार हल्का नौरासर में अभिलेख नि. भीवसर व उप तहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबन्दी संवत् 2073-76 में प्राणी का नाम बनवासी पुत्र बनवासी लाल जाट निवासी खारिया छोटा दर्ज है। जो गलत है। संनन दस्तावेज आहार कोई परिवय पत्र व पत्रवासी रिपोर्ट के अनुसार प्राणी का सही नाम बनवासी लाल पुत्र बनवासी लाल जाट निवासी खारिया छोटा है। जो शुद्ध किया जाना उचित है।

बनवासी लाल पुत्र बनवासी लाल जाट निवासी खारिया छोटा व दस्तावेजाल एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजाल एवं अभिलेख निरीक्षक भीवसर की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार सालासर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान कारागारों अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार में ग्राम खारिया छोटा तहसील सैजानाह व जिला वृक्ष की जमाबन्दी संवत् 2073-76 में नया खाला खंख्या 110 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरमद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाला खंख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	खारिया छोटा	110	बनवासी पुत्र बनवासी लाल जाट निवासी खारिया छोटा हिस्सा 1/6	बनवासी लाल पुत्र बनवासी लाल जाट निवासी खारिया छोटा हिस्सा 1/6

नियम की प्रति तहसीलदार राजस्व सैजानाह को भिजवाई जाये। पत्रावली नियम में शुमार होकर हस्त जाला दाखिल रफ्तार हो।  
 नियम आज दिनांक 30.07.2019 को भेरे द्वारा लिखया जाकर केम कोर्ट सालासर में सौनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी सैजानाह

उपखण्ड अधिकारी सैजानाह  
 30/7/19